


16-2-20

काज पट्टपत्रावली जर्घा द्वारा जर्घा - पत्र पेश करने पर
पेशी में ली गई। जर्घा उपस्थित। जर्घा की पहचान
श्री बेल्लाश पार्टीक Adh द्वारा की गई। जर्घा द्वारा जर्घा -
पत्र पेश कर निवेदन किया कि जर्घा एवं अजर्घा के मध्य
पंचायती और राजीनामा हो जाने पर जर्घा - पत्र में कोई
कार्यवाही नहीं करवाने चाहते हैं। अतः जर्घा - पत्र खींचा
गया और जर्घा - पत्र जर्घा द्वारा तब पर कार्रवाई किया
जाता है तथा दिनांक 4.6.19 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त
की जाती है। पत्रावली नंबर के रूप में कर संकलित इफ्तार हो।
(आदेश से इन्जलाफ हुगाफा गफा)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ


(बेल्लाश पार्टीक)
Adh

